UPGB010197282016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, गौतमबुद्धनगर।

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका सिंह–I, एच0 जे0 एस0।

जे0ओ0 कोड –यू0 पी0 3827

सत्र परीक्षण संख्या– 672/2016

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

बनाम

जसवन्त उर्फ यशवन्त पुत्र श्री खचेडू निवासी तुलसीनगर बाईपास रोड, कस्बा व थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर।

.....अभियुक्त

मु0 अ0 सं0– 554/2015
अन्तर्गत धारा– 376,452 भा0द0सं0
थाना– दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

निर्णय

1. जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना दनकौर द्वारा मु0अ0सं0 554/2015 में अभियुक्त जसवन्त उर्फ यशवन्त के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अन्तर्गत धारा 376,452 भा0द0सं0 में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, गौतमबुद्धनगर के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर दिनांक 04–01–2016 को संज्ञान लिया गया तथा मामले को सत्र विचारणीय पाते हुए जरिये कमिटल आदेश दिनांकित 24–11–2016, प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय, गौतमबुद्धनगर को सुपुर्द किया गया जो सत्र परीक्षण संख्या 672/2016 के रूप में पंजीकृत हुआ तथा इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में भिन्न–भिन्न न्यायालय में अंतरण होने के पश्चात् प्राप्त हुआ है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम राजस्थान राज्य डी.एन. आर. 206 सु0को0 2012** में व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008 (63) एस.सी.सी. 94 (एस.सी)** में दिये गये सम्प्रेक्षण के अनुसार इस निर्णय में पीडिता का नाम निर्दिष्ट नही किया गया है। इस निर्णय में पीडिता के नाम के स्थान पर मात्र 'X' शब्द प्रयुक्त किया जायेगा।

shoreekapoor.com

2. संक्षेप में अभियोजन कथानकः प्रस्तुत प्रकरण मे वादिया मुकदमा/पीडिता द्वारा अभियुक्त जसवन्त पुत्र खचेडू को नामजद करते हुए प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित किया जिनके आदेश पर प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो पर प्राथमिकी इस आशय की दायर की गयी कि प्रार्थिया के साथ दिनांक 11–09–2015 को रात करीब 11:00 बजें मकान मालिक जसंवत पुत्र खचेडा ने प्रार्थिया के कमरे में घुसकर जबरदस्ती बलात्कार किया था जिसकी तहरीर प्रार्थिया ने दिनांक 12–09–2015 को थाना दनकौर मे दी तो थाना पुलिस ने प्रार्थिया को धमका कर भगा दिया था जिसके बाद प्रार्थिया ने दिनांक 14–09–2015 को इस घटना की रिपोर्ट लिखाने की बावत श्रीमान् जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर श्रीमान् जी ने थानाध्यक्ष दनकौर को तथ्यो की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 15–09–2015 को थाना पुलिस ने जसवंत को पकड लिया और चार दिन बाद बिना पूछताछ किये सांठ गांठ करके छोड दिया। प्रार्थिया तभी से अपनी रिपोर्ट लिखाने हेतु थाना दनकौर के चक्कर लगा रही है, लेकिन थाना पुलिस ने प्रार्थिया के साथ हुई घटना की रिपोर्ट आज तक नही लिखी है। उपरोक्त केस में फैसला करने को दबाव बनाने हेतु जसवंत के बजाय अब थाना पुलिस ने प्रार्थिया के पति संत कुमार को थाने मे बैठा रखा है, जहॉ उपरोत जसवंत के इशारे पर कई पुलिसकर्मियो ने लात घूसों से संत कुमार के साथ थाना मे जबरदस्त मारपीट की है। उपरोक्त जसवंत बदमाश किस्म का व्यक्ति है जिसके पास आवारा किस्म के लोगो का आना जाना है। जो अपने अवैध हथियारो के बल पर उपरोक्त केस में फैसला कराने हेतु प्रार्थिया व उसके परिवार के साथ कभी भी कोई संगीन वारदात कर सकता है। श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के बावजूद थाना दनकौर ने आज तक प्रार्थिया के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज नही की है और उपरोक्त केस मे फैसला कराने को दबाव बनाने हेतु प्रार्थिया के पति संत कुमार को थाने पर किसी झूंठे केस मे फंसाने की साजिश चल रही है, विवश होकर प्रार्थिया उक्त घटना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की प्रार्थना की गयी। प्रार्थिया द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर दिनांक 06–10–2015 को मु0अ0सं0 554/2015 अन्तर्गत धारा 376,452 भा0द0सं0 पंजीकृत हुआ।

3. मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत विवेचक वेदराम, उपनिरीक्षक को प्रकरण में विवेचना सुपुर्द की गयी जिनके द्वारा विवेचना एवं अभियोग सम्बन्धी प्रपत्र प्राप्त कर विवेचना प्रारम्भ करते हुए नकल तहरीर, नकल रपट का अंकन दर्ज सीडी कर बयान लेखक एफआईआर दर्ज किये गये। दिनांक 10–10–2015 को पीडिता के घर पहुचंकर पीडिता के बयान दर्ज किये गये तथा पीडिता द्वारा घटना के समय पहने गये वस्त्रो को लेकर नकल फर्द सीडी अंकित की गयी। दिनांक 12–10–2025 को महिला कांस्टेबल 37 मीरा व पीडिता के साथ अस्पताल पहुचकर डाक्टर प्रीति द्वारा पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा चिकित्सीय सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न सीडी किये। दिनांक 20–10–2015 को पीडिता के दर्ज बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 का अवलोकन कर दर्ज सीडी अंकित किये। दिनांक 26–10–2015 को अभियुक्त यशवंत की सम्भावित स्थानो पर तलाश की गयी परन्तु अभियुक्त दस्तयाब नही हो सका। विवेचक एसआई वेदराम का स्थानांतरण हो जाने पर दिनांक 17–11–2025 को विवेचक राकेश सिंह द्वारा प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ करते हुए पूर्व विवेचक द्वारा सुपुर्द पर्चो का अवलोकन किया। दिनांक 20–11–2015 को अभियुक्त का रोबकार आत्मसमर्पण प्राप्त होने पर उसका

उल्लेख दर्ज सीडी किया गया। दिनाक 21–11–2015 को बयान डाक्टर प्रीति दर्ज कर सीडी अंकित किये दिनांक 24–11–2015 को न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त के बयान दर्ज किये जिन्हे दर्ज सीडी अंकित किया गया। दिनांक 25–11–2015 को तमामी विवेचना के दौरान संकलित बयान वादिया, गवाहन, निरीक्षण घटनास्थल एवं अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जसवंत उर्फ यशवंत के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 376,452 भा0द0सं0 का अपराध पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी। अपराध पर संज्ञान लेकर मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। दिनांक 20–04–2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त जसवन्त उर्फ यशवन्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 376,452 भा0द0सं0 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

4. अभियोजन की ओर से साक्षीगण के रूप साक्षीं पी0डब्ल्यू0–1 पीडिता 'X', साक्षी पी0डब्ल्यू02 डाक्टर प्रीति अगरवाल, साक्षी पी0डब्ल्यू03 रिटायर्ड एचसीपी सुधीर कुमार, साक्षी पी0डब्ल्यू04 निरीक्षक/पूर्व विवेचक वेदराम एवं साक्षी पी0डब्ल्यू05 रिटायर्ड उपनिरीक्षक राकेश सिंह को साक्षीगण के रूप में परीक्षित कराया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **मनोजभाई जेठाभाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य क्रिमिनल अपील नं0 2973/2023** मे पारित आदेश के अनुपालन में टैब्यूलेटेड चार्ट में संलग्नक–1 के रूप में अंकित है।

Annexure-1

Specimen Chart for Witnesses Examined

अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
पी.डब्ल्यू01	पीडिता/वादिया मुकदमा	शिकायतकर्ता
पी.डब्ल्यू02	डाक्टर प्रीति अगरवाल	विशेषज्ञ साक्षी
पी.डब्ल्यू03	रिटायर्ड एचसीपी सुधीर कुमार	प्राथमिकी साक्षी
पी0डब्ल्यू04	निरीक्षक/पूर्व विवेचक वेदराम	अनुसंधान साक्षी
पी0डब्ल्यू05	रिटायर्ड उपनिरीक्षक राकेश सिंह	अनुसंधान साक्षी

5. अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर कागज संख्या 4क/2 प्रदर्श क–1, बयान पीडिता 'X' अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2, पीडिता मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–3, चिक एफआईआर कागज संख्या 4क/1 प्रदर्श क–4 एवं खुलासा जीडी नकल रपट संख्या 46 समय 23:45 दिनांक 06–10–2015 प्रदर्श क–5, तथा आरोप पत्र कागज संख्या 3अ/1 प्रदर्श क–6 को साक्षीगण क्रमशः पी0डब्ल्यू01, पी0डब्ल्यू02, पी0डब्ल्यू03 एवं पी0डब्ल्यू05 द्वारा प्रमाणित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **मनोजभाई जेठाभाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य क्रिमिनल अपील नं0 2973/2023** मे पारित आदेश के अनुपालन में टैब्यूलेटेड चार्ट में संलग्नक–2 के रूप में अंकित है।

Annexure-2

Specimen Chart for Exhibited Documents

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का प्रकार	प्रमाणित/सत्यापित करने वाला साक्षी
प्रदर्श क–1	तहरीर	साक्षी पी0डब्ल्यू01/शिकायतकर्ता
प्रदर्श क–2	बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0	साक्षी पी0डब्ल्यू01/शिकायतकर्ता
प्रदर्श क–3	पीडिता मेडिकल रिपोर्ट	साक्षी पी0डब्ल्यू02/विशेषज्ञ साक्षी
प्रदर्श क–4	चिक एफ.आई.आर.	साक्षी पी0डब्ल्यू03/प्राथमिकी साक्षी
प्रदर्श क–5	नकल खुलासा जीडी नं0 46 समय 23:45 दिनांक 06–10–2015	साक्षी पी0डब्ल्यू03/प्राथमिकी साक्षी
प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	साक्षी पी0डब्ल्यू05/अनुसंधान साक्षी

6. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादिया मुकदमा/पीडिता 'X' द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि वह घटना के समय जसवन्त के मकान मे किराये पर रहती थी। उसके साथ उसका परिवार भी एक ही कमरे मे किराये पर रहते थे। उसके पति सन्त कुमार चिनाई का काम करते थे। दिनांक 11–09–2015 को उसने अपने मकान मालिक जसतन्त से किराये को लेकर लडाई हुई थी। वहॉ पर शोर सुनकर मौहल्ले वाले इकठ्ठा हो गये थे। जसवन्त ने उसे घर खाली करने के लिये कहा था जिसकी रिपोर्ट लिखवाने वह दिनांक 12–09–2015 को थाने पर गई थी। वह मौहल्ले वालो के कहने पर थाने पर रिपोर्ट लिखवाने गई थी। उसे पढना लिखना नही आता है। जब वह रिपोर्ट लिखवाने गई थी तो पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया था। उस घटना के बाद वह थाने नही गई। जब वह थाने गई थी तो मौहल्ले वालो से मिलकर व उनसे ही तहरीर लिखवाई थी। तहरीर उसे पढाकर नही सुनाई थी। तहरीर मे क्या लिखा है, इसकी उसे जानकारी नही है। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 4क/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने मौहल्ले वालो के कहने पर व उनके द्वारा दिये जाने को लेकर थाने पर दी थी जिस पर उसके अंगूठे के निशान है। वह शिनाख्त करती है। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नही की थी। परन्तु उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था। इस स्तर पर न्यायालय की अनुमति से एक बन्द लिफाफा जिस पर बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी मु0अ0सं0 554/15 धारा 452,376 भा0द0सं0 थाना दनकौर, पीडिता 'X' पत्नी सन्त कुमार लिखा है, खोला गया। गवाह ने अपने 164 सीआरपीसी के बयानो पर फोटो व हस्ताक्षर की पहचान की व गवाह को 164 सीआरपीसी के बयान पढकर सुनाये गये तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है जो उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिये थे पडौसी के कहने पर दिये थे। पुलिस ने उसके कोई भी बयान नही लिये थे। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया व 164 सीआरपीसी के बयानो पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

7. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 डॉक्टर प्रीति अगरवाल हाल तैनाती 50 बेडेड कम्बाईण्ड हास्पिटल, लोनी, गाजियाबाद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 12–10–2015 को वह डिस्ट्रिक्ट कम्बाईन्ड अस्पताल सैक्टर–30, नोएडा में तैनात थी। उस दिन उसके पास महिला कांस्टेबल मीना देवी, थाना दनकौर से पीडिता 'X' को मेडिकल परीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साथ लाई थी। उसके द्वारा पीडिता का मेडिकल परीक्षण किया गया। पीडिता के दाएं गाल पर कान से 5.5 सेमी नीचे एक काला तिल का पहचान अंकित किया गया। पीडिता की अंदरूनी व बाहरी जांच के लिए सहमति ली गयी व उसके दाएं अंगूठे का निशान लिया गया।

पीडिता शादीशुदा थी व उसकी पिछली माहवारी 1/10/15 को हुई थी। पीडिता द्वारा बताया गया कि उसके तीन बच्चे है, सबसे छोटा बच्चा 4 साल का है व सभी बच्चे नार्मल डिलिवरी से हुए है। पीडिता ने घटना के बारे में संक्षिप्त मे बताया कि – She was sexually assaulted by a man in the night, when she was alone in the house.

बाहय परीक्षण मे उसकी मानसिक दशा स्थिर थी। पीडिता होश हवास मे थी। उसकी नाडी की गति 90 प्रति मिनट रक्तचाप 110/80, लम्बाई 140 सेमी0 तथा वजन 60 किलो था। पीडिता ने बताया कि घटना के बाद उसने वस्त्र बदल लिए है तथा स्नान भी कर लिया था।

अंदरूनी जांच मे गुप्तांग मे बाहरी कोई चोट नही थी। कोई रक्तस्त्राव भी नही था व हाइमन पुराना फटा हुआ था। पीडिता का वजाईनल स्मीयर तैयार कर जांच के लिए भेजा गया था। तथा उसका सर्वाईकल स्वाब, ओरल स्मीयर, ब्रेस्ट स्मीयर और प्यूबिक हेयर परीक्षण हेतु भेजा गया और उम्र निर्धारण के लिए सीएमओ को रैफर किया गया क्योंकि उसे उम्र का अंदाजा नही था।

पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 5अ/2 पीडिता की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही रिपोर्ट है जो उसके द्वारा तैयार की गयी थी। उसके हस्तलेख मे है इस पर उसके हस्ताक्षर है। शिनाख्त करती हूँ। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 रिटायर्ड एचसीपी सुधीर कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 06–10–15 को उसकी ड्यूटी थाना दनकौर में एचसीपी के पद पर थी। उस दिन डाकपैड से वादीया 'X' की तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के आधार पर व थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर उसके द्वारा मु0अ0सं0 554/15 अन्तर्गत धारा 452,376 भा0द0सं0 सरकार/जसवन्त के विरूद्ध पंजीकृत किया था। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 4क/1 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही एफआईआर है जो उसके द्वारा दर्ज की गई थी। जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व थाने की मोहर है। वह शिनाख्त करता है। इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे का खुलासा जी.डी. 45 समय 23:45 बजें दिनांक 06–10–15 को किया गया जी.डी. उसके हस्तलेख मे है। वह शिनाख्त करता है। जी.डी. पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

9. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 वेदराम निरीक्षक हाल तैनाती अपराध शाखा, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में

सशपथ बयान किया है कि दिनांक 7–10–2015 को थाना प्रभारी दनकौर के लिखित आदेश से मु0अ0सं0 554/2015 राज्य बनाम जसवंत उर्फ यशवंत की विवेचना मिली थी। उसने 7–10–2015 को पर्चा नं0 1 किता किया जिसमे प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल की और जी.डी. की नकल की और एफआईआर लेखक हेड मोहर्रिर 449 सुधीर कुमार के बयान लिखें। मुल्जिम की तलाश की पर वह नही मिला। दिनांक 10–10–15 को पर्चा नं0 2 किता किया गया जिसमें वह महिला कांस्टेबल 37 मीरा देवी को साथ लेकर पीडिता के घर पर पहुंचा और पीडिता के बयान धारा 161 सीआरपीसी दर्ज किए व जो घटना के वक्त पीडिता ने अंर्तवस्त्र पहने थे फर्द बनाकर उन्हें कब्जे में लिया। मुल्जिम की तलाश की परन्तु वह नही मिला। दिनांक 12–10–15 को पर्चा नं03 किता किया गया। उसने महिला कांस्टेबल 37 मीरा को साथ लेकर पीडिता का जिला अस्पताल गौतमबुद्धनगर मे मेडिकल परीक्षण कराया। इसके पश्चात् सीजेएम गौतमबुद्धनगर के यहॉ पेश करके पीडिता के 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराए। मुल्जिम को तलाश किया गया पर वह नही मिला। दिनांक 20–02–2015 को पर्चा सं0–4 किता किया गया। जिसमें बयान धारा 164 का अवलोकन किया गया। पीडिता ने बयान मे एफआईआर का समर्थन किया था। इसके पश्चात् मुल्जिम को तलाश किया गया। वह नही मिला। सीडी नं05 दिनांक 26–10–2015 को मुल्जिम के यहॉ दबिश दी गयी, पर वह नही मिला। इसके बाद उसका स्थानातंरण होने के कारण विवेचना उसके द्वारा पूर्ण नही की गयी, अन्य विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण की गयी।

10. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 रिटायर्ड एसआई राकेश सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 17–11–2015 को एसआई वेदराम, पूर्व विवेचक के स्थानांतरण के उपरांत मुकदमे की विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा दिनांक 17–11–2015 को सीडी नं0 6 किता की गयी जिसमें पूर्व किता की गयी सीडी प्राप्त कर अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी गयी। दिनांक 20–11–20 को सीडी नं0 7 किता की गयी जिसमे रोबकार आत्मसम्पर्ण प्राप्त हुआ। रोबकार की कार्यवाही को पर्चे मे दर्ज कर अभियुक्त के बयान अंकित करने के लिए माननीय न्यायालय की परमिशन के लिए अनुरोध करने का अंकन किया गया। दिनांक 21–11–2015 को सीडी नं08 किता की गयी जिसमें सरकारी अस्पताल मे जाकर डाक्टर प्रीति से पूछताछ कर उनके बयान अंकित किए गए। दिनांक 24–11–2015 को सीडी नं09 किता की गयी जिसमें माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर जिला कारागार मे निरूद्ध जसवंत उर्फ यशवंत के बयान अंकित किए गए। दिनांक 25–11–2015 को सीडी नं0 10 किता की गयी जिसमें अभियुक्त जसवंत उर्फ यशवंत के विरूद्ध धारा 452,376 भा0द0सं0 के अपराध बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 3अ/1 आरोप पत्र को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही आरोप पत्र है जो उसके द्वारा अभियुक्त जसवंत उर्फ यशवंत के विरूद्ध प्रेषित किया गया था। आरोप पत्र उसके हस्तलेख मे है, उस पर उसके हस्ताक्षर भी है। आरोप पत्र पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने पर, न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रकिया को समाप्त करते हुए पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत 313 द0प्र0सं0 नियत की गयी।

अभियुक्त जसवन्त उर्फ यशवन्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दर्ज किये गये जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए पीडिता/वादिया के बयानो को झूंठा बताया तथा अन्य किसी साक्षीगण के बयानो के सन्दर्भ में कुछ नही कहने का कथन अंकित कराया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त से उसके विरूद्ध मुकदमा चलाये जाने का कारण पूछे जाने पर कथन किया गया कि जमीन विवाद के चलते कुछ व्यक्तियो द्वारा उक्त महिला को भडका दिया गया जोकि उसकी किरायेदार थी और किराया नही दे रही थी। महिला द्वारा बहकावे में आकर झूंठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। साक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने का कथन भी किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में कोई साक्ष्य अथवा किसी सफाई साक्षी को परीक्षित न कराये जाने पर अभियुक्त के सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। नियत दिनांक पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना गया तथा दोनो पक्षो की बहस को सुनने के उपरांत पत्रावली को वास्ते निर्णय नियत किया गया।

12. न्यायालय द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रीमती शिल्पी भदौरिया तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश भाटी की तकपूर्ण बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया।

13. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त जसवन्त उर्फ यशवन्त द्वारा पीडिता जोकि उसकी किरायेदार थी, के कमरे मे जबरदस्ती घुसकर वादिया के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया तथा जब उसने इसकी शिकायत पुलिस थाने पर की तो उसकी रिपोर्ट दर्ज न करे उल्टे उसके पति को थाने पर बैठाकर रखा और लात घूंसो से उसके पति के साथ मारपीट की गयी। न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या अभियोजन उपरोक्त आरोप को सन्देह से परे मामले को साबित करने में सफल रहा है?

14. अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में वादिया/पीडिता के पक्षद्रोही होने के बावजूद अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तहरीर के कथनो एवं दर्ज बयानो से मामले में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा/पीडिता को अकेला पाकर उसके कमरे मे प्रवेश कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कारित किया जिसकी पुष्टि पीडिता द्वारा अपने दर्ज बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 एवं वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर अभिलेख से होती है। पत्रावली पर अभियुक्त की दोषसिद्धि का साक्ष्य सिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

15. अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है। विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नही किया गया है। पीडिता द्वारा न्यायालय में समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे अभियुक्त द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपराध कारित होना दर्शित होता हो। पीडिता के बयानो में आपसी–विरोधाभास है। घटना का कोई नक्शा नजरी तैयार नही किया गया है। विवेचना थाने पर बैठकर की गयी है। विवेचक द्वारा अधिरोपित अपराध से सम्बन्धित धाराओ को साबित करने हेतु पीडिता एवं अभियुक्त की मेडिकल

जांच को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नही भेजा गया है। पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही करती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नही कर सका है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

16. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस के पश्चात् धारा 354(1)(बी) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मामले के निस्तारण के लिये निम्न अवधार्य प्रश्न विरचित किये जाते है –

1. **क्या अभियुक्त द्वारा पीडिता/वादिया के कमरे मे घुसकर उससे जबरदस्ती बलात्संग कारित किया?**

2. **क्या अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है?**

17. यह विधि का निर्विवादित सिद्धान्त है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध तभी किया जा सकता है जब अभियोजन उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा हो। अब देखना यह है कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त विरचित अवधार्य प्रश्न एवं अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने सफल रहा है अथवा नहीं?

18. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण कर विवेचन निम्न प्रकार किया जा रहा है–

19. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण वादिया द्वारा अभियुक्त जसवन्त उर्फ यशवन्त को नामजद करते हुए पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित प्रार्थना पत्र के आधार पर पीडिता के कमरे में जबरदस्ती घुसकर, उससे जबरदस्ती बलात्कार करने सम्बन्धित जैसे कथनो के साथ दर्ज करायी गयी है। पीडिता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की कार्यवाही तक अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित धाराओ से सम्बन्धित अपराध के आरोपो का का समर्थन अपनी तहरीर एवं बयान अन्तर्गत धारा 161 एवं 164 द0प्र0सं0 से किया गया था। परन्तु जब यह प्रकरण न्यायालय में समक्ष साक्ष्य के स्तर पर उपस्थित आया तो घटना की मुख्य साक्षी/पीडिता द्वारा अपने पूर्व के कथनो एवं बयानो के विपरीत जाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त एवं स्वयं के मध्य मकान के किराये को लेकर लडाई होने तथा अभियुक्त द्वारा उसे घर खाली करने के कथन पर और उसके द्वारा मौहल्ले वालो के कहने पर थाने पर रिपोर्ट लिखवाने का कथन किया है तथा स्वयं को पढना लिखना नही आने का भी कथन किया गया है। साक्षी द्वारा पत्रावली पर दाखिल तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने अंगूठे के निशान के साथ साथ स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 पर अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की शिनाख्त कर उन्हें साबित तो किया गया परन्तु उक्त धारा 164 द0प्र0सं0 का बयान पडौसियो के कहने पर दिये जाने का कथन किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक एवं अपने पूर्व में अंकित कथनो एवं बयानो से विपरीत कथन किये गये। साक्षी के पक्षद्रोही घोषित होने पर अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा परीक्षा मे भी इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि वह थाने पर रिपोर्ट लिखवाने कई बार गई थी तथा यह कहना भी गलत है कि जसवन्त के कहने पर उसके पति को थाने पर बैठाकर पुलिस वालो ने लात घूंसो से उसके पति की जबरदस्ती पिटाई की हो।

पीडिता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि उसका जसवन्त से न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि जसवन्त ने उसे इस मुकदमे में दबाव बनाने के लिए व समझौता करवाने के लिए दूसरा मुकदमा उसके ऊपर कर दिया हो तथा यह कहना भी गलत है कि उसका अभियुक्त से समझौता हो गया हो जिस कारण वह झूंठी गवाही दे रही है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि जसवन्त ने उसके साथ कोई गलत सम्बन्ध नही बनाये और ना ही कोई सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाया। यह कहना भी गलत है कि जसवन्त ने उससे यह कहा हो कि वह उसके साथ सम्बन्ध बनाये तो वह उसको अपनी सम्पत्ति दे देगा। इस साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि घटनास्थल का कोई नक्शा पुलिस द्वारा उसके सामने तैयार नही किया गया और ना ही उससे कोई पूछताछ की। इस साक्षी द्वारा स्वयं के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयानो को पुलिस व मौहल्ले वालो के कहने पर दिये जाने का कथन किया गया।

20. न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर इस साक्षी द्वारा कहा गया कि तहरीर उसने थाने पर दी थी परन्तु जो इसमे लिखा है, उसने ऐसा नही बोला था। उसने बलात्कार की कोई घटना नही लिखवायी थी। वह लडाई की रिपोर्ट लिखाने गयी थी। साक्षी द्वारा आज दिये जा रहे बयान को सही बताते हुए कथन किया कि उसने दबाव मे या पैसे लेकर कोई समझौता नही किया है तथा वह यह भी जानती है कि न्यायालय मे झूंठा बयान देना अपराध है।

इस प्रकार यह अभियोजन साक्षी जोकि प्रकरण में मुख्य एवं चश्मदीद साक्षी है तथा जिसके साथ प्रकरण की घटना का घटनाक्रम घटित होना कथित है, के द्वारा अपने साक्ष्य से न्यायालय में समक्ष अभियोनक कथानक के विपरीत कथन किये है, जो घटना के अभियुक्त को निर्दोषिता की ओर ले जाते है।

21. इसी क्रम मे एक और महत्वपूर्ण साक्षी डाक्टर प्रीति अगरवाल जिसके द्वारा पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है उनके द्वारा बयान में कथन किया गया है कि पीडिता द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा जब वह घर में अकेली थी, उसके साथ गलत काम किया था परन्तु यह साक्षी उस अभियुक्त के नाम के बारे में कोई जानकारी देने असमर्थ रही। साक्षी द्वारा बयान में कहा गया कि परीक्षण के दौरान पीडिता की मानसिक दशा स्थिर थी तथा वह होशहवास मे थी। पीडिता ने उसे बताया था कि घटना के बाद उसने वस्त्र बदल लिए है और स्नान भी कर लिया है। पीडिता की अंदरूनी जांच मे गुप्तांग मे बाहरी कोई चोट नही थी। रक्तस्त्राव भी नही था। हाईमन भी पुराना फटा हुआ था। पीडिता को वजाईनल स्मीयर तैयार कर जांच हेतु भेजा गया था इसके अतिरिक्त उसका सर्वाईकल स्वाब, ओरल स्मीयर, ब्रेस्ट स्मीयर और प्यूबिक हेयर भी परीक्षण हेतु भेजा गया था तथा पीडिता की उम्र का निर्धारण करने के लिये सीएमओ को रैफर किया गया था।

22. प्रतिपरीक्षा के दौरान भी इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया कि पीडिता के शरीर पर कही चोट के निशान नही थे। पैथोलॉजी की रिपोर्ट पत्रावली पर नही है। पीडिता के अंदरूनी जांच में कोई रक्तस्त्राव नही पाया गया। पीडिता के गुप्तांग पर या कहीं कोई अंदरूनी चोट नही थी। पत्रावली पर भेजे गए स्मीयर व स्लाईड की रिपोर्ट नही है।

23. इस प्रकार उक्त साक्षी जोकि बलात्कार सम्बन्धी अपराध में एक महत्वपूर्ण साक्षी हो सकती थी, उसके द्वारा भी पीडिता की चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जो प्रकरण में गठित अपराध का होना बताता हो अथवा यह अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया, साबित करता हो। बलात्कार सम्बन्धित अपराध में पीडिता की पैथोलॉजी रिपोर्ट एवं पीडिता के शरीर से एकत्र किये गये नमूनो की जांच रिपोर्ट भी पत्रावली पर न होना, विवेचना पर एक वृहत्त प्रश्नचिन्ह खडा करता है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भी अभियुक्त को दोषिता को साबित करने मे असफल प्रतीत होता है।

24. इसी क्रम में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तीन अन्य साक्षीगण पी0डब्ल्यू03 रिटायर्ड एचसीपी सुधीर कुमार, साक्षी पी0डब्ल्यू04 पूर्व विवेचक वेदराम एवं साक्षी पी0डब्ल्यू05 रिटायर्ड एसआई राकेश सिंह जो मुकदमे के क्रमशः एफआईआर लेखक एवं विवेचकगण है, के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान से, उनके द्वारा तैयार प्रपत्रो की शिनाख्त कर साबित किया गया है, परन्तु अपने साक्ष्य से मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनो मे ही कोई ऐसा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहे है जो अभियुक्त की मुकदमा उपरोक्त के अपराध में संलिप्तता की कड़ी को जोड़ता हो। यहॉ तक की पत्रावली पर प्रकरण से सम्बन्धित घटनास्थल का नक्शा नजरी तक मौजूद नही है जो किसी भी अपराध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। पत्रावली पर घटनास्थल का नक्शा नजरी न होने विवेचक द्वारा कारित विवेचना की विश्वसनीयता पर एक प्रश्नचिन्ह लगाता है।

25. वादी मुकदमा द्वारा लगाये गये आरोपो को सिद्ध करने दायित्व अभियोजन पर था परन्तु अभियोजन की ओर से जिन साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु प्रस्तुत किया गया वे सभी अभियोजन कथानक को प्रस्तुत साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे है। यहॉ तक कि मुख्य साक्षी/पीडिता द्वारा अपने पूर्व में आरोपित कथनो एवं बयानो के विपरीत जाते हुए अभियुक्त पर जबरदस्ती घर में घुसकर लगाये गये जबरदस्ती बलात्कार सम्बन्धित आरोपो का समर्थन नही किया है।

26. इस प्रकार प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू01 पीडिता जोकि प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी है तथा जिसके साथ घटना घटित बताया गया है, वह न्यायालय के समक्ष अपने बयान से अभियोजन कथानक का समर्थन नही करती है। बलात्कार जैसे अपराध से सम्बन्धित घटना जो एक महिला के लिये पीडादायी है तथा उसके सामाजिक अस्तित्व को क्षत–विक्षित करती है, मे पीडिता महिला से मजबूत साक्षी कोई नही हो सकता है और यदि वही साक्षी/पीडिता अभियोजन कथानक का समर्थन न करे, तो यह अभियुक्त की दोषसिद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा अभियोजन कथानक को बल प्रदान नही करती है।

27. जहॉ तक पीडिता के कथन अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 का सवाल है तो साक्ष्य विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि कथन अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 एक सारभूत साक्ष्य नही है तथा उसे केवल पीडिता का पूर्व कथन माना जा सकता है। जिसका प्रयोग धारा 145 एवं 157 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पीडिता के किसी अग्रेतर बयान मे उस तथ्य के सम्बन्ध में विरोधाभास अथवा सम्पुष्टिकरण के लिए ही किया जा सकता है। तथा अन्य साक्ष्य के अभाव में कथन अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 को अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नही बनाया जा सकता। माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिल्ली राज्य बनाम श्रीराम लोहिया, ए.आई.आर. 1950 सुप्रीम कोर्ट 490** में यह अवधारित किया गया है कि धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत अभिलिखित किया गया कथन सारभूत साक्ष्य नही माना है तथा उनके ऐसे साक्ष्य को कोरोबोरेट अथवा कंट्राडिक्शन करने के अलावा किसी अन्य प्रकार से प्रयोग नही किया जा सकता तथा साक्षी द्वारा स्वीकार किये गये इस तथ्य से कि उक्त धारा के तहत उसका बयान अंकित किया गया है तथा उसने जो कुछ कहा, वह सत्य था, किसी मामले में उसके समस्त कथन को स्वीकार किये जाने योग्य नही बनायेगा तथा इसके किसी भाग को सारभूत साक्ष्य की तरह प्रयोग नही किया जायेगा। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा **रामलखन शिवचरन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1991, सी.आर.एल.जे. 2790, 2972** में यह अवधारित किया है कि जहॉ साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथन को समर्थित नही किया जाता, ऐसी परिस्थितियो में उक्त धारा के तहत उनके कथन को सारभूत साक्ष्य की तरह प्रयोग नही किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जार्ज बनाम केरला राज्य ए.आई.आर. 1998 सुप्रीम कोर्ट 1376** मे भी यह अवधारित किया गया है कि धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत अभिलिखित कथन कोई सारभूत साक्ष्य नही है तथा केवल सम्पुष्टिकरण अथवा विरोधाभास के लिये प्रयोग किया जा सकता है तथा यदि वह साक्षी, जिसका कथन अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित किया गया है, पक्षद्रोही घोषित हो जाता है, भले ही उसको परजरी के लिए प्रासिक्यूट किया जा सके, उक्त कथन के बल पर कोई दोषसिद्धि अभिलिखित नही की जा सकती। **टी.दिवाकरा बनाम कर्नाटक राज्य 2006 सी.आर.एल.जे.4813** में यह प्रतिपादित किया है कि ऐसी परिस्थितियो में यह स्पष्ट हो जाता है कि मात्र पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 के आधार पर ही, जब तक कि कोई अन्य साक्ष्य उक्त कथन के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में अभिलेख पर प्रस्तुत न किया गया हो, दोषसिद्धि नही की जा सकती।

28. उपरोक्त समस्त विश्लेषण व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओ से यह स्पष्ट है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से यह परे यह साबित करने मे विफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता के कमरे में घुसकर जबरदस्ती बलात्कार कारित किया। अतः इस प्रकार अभियोजन अवधार्य बिन्दु संख्या–01 **क्या अभियुक्त द्वारा पीडिता/वादिया के कमरे मे घुसकर उससे जबरदस्ती बलात्संग कारित किया?** को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतयाः असफल रहा है। अतः अवधार्य बिन्दु संख्या–1 अभियोजन के विरूद्ध तथा अभियुक्त पक्ष में निष्पादित किया जाता है।

29. समस्त गवाहो के बयान व साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन अपने कथानक में अभियुक्त जसवन्त उर्फ यशवन्त द्वारा पीडिता के कमरे मे घुसकर जबरदस्ती बलात्कार करने सम्बन्धी आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नही कर सका है। अतः अवधार्य बिन्दु संख्या–2 अभियोजन पक्ष के विरूद्ध निष्पादित किया जाता है।

30. अभियोजन कथानक के परिपेक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य की संवीक्षा करने के आलोक मे यह तथ्य उभरकर आया है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता/वादिया मुकदमा के साथ, प्रस्तुत लिखित तहरीर पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनो से सम्बन्धित कोई घटना/अपराध कारित किया जाना, प्रतीत नही होता है। अतः समस्त गवाहो के बयान, चिकित्सीय प्रपत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन एवं उपरोक्त समग्र

विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त जसवन्त उर्फ यशवन्त के विरूद्ध सृजित आरोप अन्तर्गत धारा 376,452 भा0द0सं0 को अभियोजन पक्ष साक्ष्य की वर्तमान सीमा में, मेरे विचार में प्रबल, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त रूप से तर्कोचित संदेह से परे, साबित करने में विफल रहा है। अत : अभियुक्त के विरूद्ध सृजित आरोपो से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

31. प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी मुकदमा/पीडिता की तहरीर के आधार पर पंजीकृत हुयी परन्तु जब वादिनी मुकदमा न्यायालय के समक्ष साक्षिया के रूप में प्रस्तुत हुई तो उसके द्वारा अभियुक्त के सम्बन्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यो का समर्थन नही किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वादिनी/पीडिता द्वारा जानबूझकर विधि द्वारा महिलाओ को प्रदत्त अधिकारो को दुरूपयोग किया है। अतः न्यायालय के मत में यह आवश्यक है कि वादिनी मुकदमा/पीडिता के विरूद्ध धारा 344 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायें।

आदेश

1. अभियुक्त जसवन्त उर्फ यशवन्त को सत्र परीक्षण 672/2016, मु0अ0सं0 554/2015 के अपराध अन्तर्गत धारा 376,452 भा0द0सं0 थाना दनकौर के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किऐ जाते है एवं प्रतिभूगणो को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।
2. अभियुक्त धारा 437ए दं0 प्र0 सं0 के अनुपालन में 30,000/– का निजि बंध पत्र और समान धनराशि के दो नवीन प्रतिभू दाखिल करे, जो 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
3. वादिनी मुकदमा/पीडिता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 344 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण किये जाने हेतु प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जायें।
4. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जायें।

दिनांकः 01–04–2026

(प्रियंका सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय
गौतमबुद्धनगर।
जे0ओ0 कोड –यू0 पी0 3827

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 01–04–2026

(प्रियंका सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय
गौतमबुद्धनगर।
जे0ओ0 कोड –यू0 पी0 3827

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in."

Digitally signed by PRIYANKA SINGH
Date: 2026.04.01 16:12:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court